राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0
पी. सी. एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2630130 (कार्यालय)
फैक्स : 0522-2630115, 2630134
वेबसाइट : http://sec.up.nic.in
ईमेल : secup@up.nic.in,
secup32@gmail.com

State Election Commission, U.P.
P.C.F. Building, 32-Station Road, Lucknow
Phone : 0522-2630130 (O)
Fax : 0522-2630115, 2630134
Website: http://sec.up.nic.in
Email : secup@up.nic.in,
secup32@gmail.com

निर्वाचन / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या : 2021300429 / रा0नि0आ0–3 / 15 / 2019 Vol-2 / पं0नि0 / 2021 दिनाँक: 28/01/2021

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट /
जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
उत्तर प्रदेश।

विषय : त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

त्रिस्तरीय पंचायतों की निवार्चक नामावलियों के वृहद् पुनरीक्षण के दौरान नियत समय तक प्राप्त दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार भलीभांति संवीक्षा कराई जाए ताकि किसी पात्र व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने से न छूट जाए।

2. यदि कतिपय कारणों से पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में छूट जाता है या त्रुटिपूर्ण होता है या अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो जाता है तो निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा–9 की उपधारा (10) के अन्तर्गत अधिसूचित उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश दिनांक 10 मई, 2005 के प्रस्तर–2(छ) के अनुसार निर्वाचक नामावली के दिनांक 22 जनवरी, 2021 को अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त से जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) द्वारा निर्वाचन की नोटिस जारी किए जाने के पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु नागरिकों द्वारा निर्धारित प्ररूप में आवेदन किया जा सकता है। अतः आप व्यापक रूप से सर्वसाधारण को यह सूचित करें कि इस अवधि में भी वे नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही नामांकन के लिए नियत अन्तिम दिनांक तक की जाएगी। इसमें भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने से छूट न जाए तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो।

भवदीय,

(वेद प्रकाश वर्मा)
अपर निर्वाचन आयुक्त।

संख्या : 2021300429 (1) / रा0नि0आ0अनु0–3 / 15 / 2019 / Vol-2 / पं0नि0 / 2021,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

क्रमशः पृष्ठ–2 पर...

3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अधिकारीगण, राज्य निर्वाचन आयोग,उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उ0प्र0।
7. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल, अनुभाग–3

(वेद प्रकाश वर्मा)
अपर निर्वाचन आयुक्त।